भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5070

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

बेरोजगारी दर को कम करना

5070. श्री नलीन कुमार कटीलः

श्रीमती माला रायः

सुश्री मिमी चक्रवतीः

श्री टी.एन. प्रथापनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी दर को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 5 प्रतिशत करने का विचार है, यदि हां, तो सरकार द्वारा बेरोजगारी दर को औसतन 8.22 प्रतिशत से घटाकर लक्ष्य दर तक लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान शहरी बेरोजगारी दर को 8.33 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत, जो 2018 में थी, करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) वर्ष 2014 से देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान और वार्षिक बेरोजगारी दर कितनी है;

(घ) पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है;

(ङ) देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोग नियोजित हैं;

(च) क्या सरकार के पास देश में अल्प-रोजगार के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, यदि हां, तो बेरोजगारी के संकट का समाधान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के अधिकारिक आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 5.8%, 4.8%, 4.2% और 4.1% थी। जबकि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 7.6%, 6.9%, 6.7% और 6.3% थी, जो देश के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

पीएलएफएस से पहले, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) आयोजित किया जाता था। पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो की अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज होने के कारण इन दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, मौसम संबंधी श्रम बल को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से अगले वर्ष जून (अर्थात् पूरे वर्ष) तक की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए इसमें पूर्ण मौसम को कवर नहीं किया जाता था।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में है।

अन्य देशों की बेरोजगारी दर केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.3 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक इस योजना के तहत 39.65 करोड़ ऋण खाते अनुमोदित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 03.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5070 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा (% में)

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7	4.1	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7	5.7	7.7
3	असम	7.9	6.7	7.9	4.1	3.9
4	बिहार	7	9.8	5.1	4.6	5.9
5	छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3	2.5	2.4
6	दिल्ली	9.4	10.4	8.6	6.3	5.3
7	गोवा	13.9	8.7	8.1	10.5	12
8	गुजरात	4.8	3.2	2	2.2	2
9	हरियाणा	8.4	9.3	6.4	6.3	9
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7	3.3	4
11	झारखंड	7.5	5.2	4.2	3.1	2
12	कर्नाटक	4.8	3.6	4.2	2.7	3.2
13	केरल	11.4	9	10	10.1	9.6
14	मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3	1.9	2.1
15	महाराष्ट्र	4.8	5	3.2	3.7	3.5
16	मणिपुर	11.5	9.4	9.5	5.6	9
17	मेघालय	1.6	2.7	2.7	1.7	2.6
18	मिजोरम	10.1	7	5.7	3.5	5.4
19	नागालैंड	21.4	17.4	25.7	19.2	9.1
20	ओडिशा	7.1	7	6.2	5.3	6
21	पंजाब	7.7	7.4	7.3	6.2	6.4
22	राजस्थान	5	5.7	4.5	4.7	4.7
23	सिक्किम	3.5	3.1	2.2	1.1	1.6
24	तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3	5.2	4.8
25	तेलंगाना	7.6	8.3	7	4.9	4.2
26	त्रिपुरा	6.8	10	3.2	3.2	3
27	उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1	6.9	7.8
28	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4	4.2	2.9
29	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6	3.5	3.4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	15.8	13.5	12.6	9.1	7.8
31	चंडीगढ़	9	7.3	6.3	7.1	6.3
32	दादरा और नगर हवेली	0.4	1.5	3	4.2	5.2
33	दमन और दीव	3.1	0	2.9		
34	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7	5.9	5.2
35	लद्दाख	-	-	0.1	2.9	3.3
36	लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7	13.4	17.2
37	पुडुचेरी	10.3	8.3	7.6	6.7	5.8
	अखिल भारत	**6**	**5.8**	**4.8**	**4.2**	**4.1**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई